बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

<u>आदेश</u>

संख्या–1/स्था0 (7) 07/2022 (खंड–2)– 4243 / पटना–15, दिनांक– 07/08/2026

बिहार पशु चिकित्सा सेवा के कुल 24 पदाधिकारियों को बाढ़ प्रभावित अवधि तक के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या–3735–सह–पठित ज्ञापांक–3736, दिनांक–17.07.2026 के माध्यम से उनके क्रमांक के सामने स्तम्भ–3 में अंकित जिला पशुपालन कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया गया है। उक्त के बावजूद कई पशु चिकित्सा पदाधिकारियों के द्वारा अबतक संबंधित प्रतिनियुक्त कार्यालय में योगदान समर्पित नहीं किया गया है।

अतः आदेश दिया जाता है कि विभागीय अधिसूचना संख्या–3735–सह–पठित ज्ञापांक–3736, दिनांक–17.07.2026 से आच्छादित सभी पशु चिकित्सा पदाधिकारी अनिवार्यतः अपने पदस्थापित कार्यालय से विरमित होते हुये प्रतिनियुक्त कार्यालय में दिनांक–08.08.2026 के अपराह्न तक योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

7.8.26

(नीरज कुमार देवनाथ)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–1/स्था० (7) 07/2022 (खंड–2)– 4243 /पटना–15, दिनांक– 07/08/2026

प्रतिलिपिः–सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/सभी संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/जिला पशुपालन पदाधिकारी, जहानाबाद/अरवल/औरंगाबाद/गया जी/नवादा/बक्सर/लखीसराय/प0 चम्पारण, बेतिया/मधुबनी/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.8.26

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–1/स्था० (7) 07/2022 (खंड–2)– 4243 /पटना–15, दिनांक– 07/08/2026

प्रतिलिपिः–विभागीय आई०टी० प्रबंधक को सभी नियंत्री पदाधिकारियों को ई–मेल के माध्यम से सूचित करने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

7.8.26

सरकार के अवर सचिव।